निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 868) पटना वृहस्पतिवार 23 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई 2026

सं० वि०स०वि०-26/2026-3356 वि०स०—''बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–22 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव।

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) विधेयक, 2026
[वि०स०वि०-22/2026]

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) को निरसित करने हेतु विधेयक।

प्रस्तावनाः–चूँकि राज्य के अन्तर्गत दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मकारों के रोजगार के नियमन और सेवा की अन्य शर्त्तों से संबंधित विधियों को संशोधित और समेकित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) पारित किया गया है ।

और, चूँकि केन्द्र सरकार द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) को दिनांक–21.11.2025 के प्रभाव से लागू कर दिया गया है ।

और, चूँकि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) एवं बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) में अंकित प्रावधानों में समरूपता है ।

और, चूँकि वर्तमान में बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है ऐसी स्थिति में अधिनियमों के अन्तर्गत दोहरे प्रावधानों के सह–अस्तित्व के कारण बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) को निरसित किये जाने की आवश्यकता है ।

इसलिए, अब भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।–

(1) इस अधिनियम को बिहार दुकान और प्रतिष्ठान(रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. निरसन एवं व्यावृति।–

(1) बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 के अधीन किया गया या की गयी समझा या समझी जाएगी और बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 के निरसन के चलते किये गए कुछ भी या की गई किसी कार्रवाई की वैधता को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) अध्यादेश, 2026 (बिहार अध्यादेश संख्या–01, 2026) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के अन्तर्गत दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मकारों के रोजगार के नियमन और सेवा की अन्य शर्त्तों से संबंधित बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 को निरसित कर बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) पारित किया गया है।

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) में कामगारों के कार्य के घंटे, अवकाश, ओवरटाईम, कार्यस्थल पर सुरक्षा मानक, प्रतिष्ठानों को सप्ताह में सातों दिन संचालित करने की अनुमति, महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं ।

केन्द्र सरकार द्वारा कुल 29 श्रम कानूनों को निरसित करते हुए उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37), मजदूरी संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 को दिनांक–21.11.2025 के प्रभाव से लागू कर दिया गया है । उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) एवं अन्य श्रम संहिताओं के प्रावधान बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) में अंकित प्रावधानों से साम्यता रखते हैं अथवा उनकी व्याख्याएं श्रम संहिताओं में अधिक स्पष्ट की गयी हैं ।

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) एवं बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त्त) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) के अधिकांश प्रावधानों में समरूपता है । इस प्रकार दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के लागू होने की सीमा समान है । इसके अतिरिक्त वैसे प्रावधान जो उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) के अन्तर्गत नहीं है, वे अन्य श्रम संहिताओं यथा मजदूरीसंहिता, 2019, औद्योंगिक संबंध संहिता, 2020 एवं सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों से आच्छादित हो जायेंगे। इस प्रकार 2025 (बिहार अधिनियम–09, 2025) को निरसित किये जाने का प्रस्ताव है ।

प्रस्तावित विधेयक के लागू हो जाने के पश्चात् बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा होगें, अधिनियमों के अन्तर्गत दोहरे प्रावधानों का सह–अस्तित्व समाप्त होगा ।

यही इस विधेयक का उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना की इस विधेयक का अभिष्ठ है।

(अरुण शंकर प्रसाद)
भार–साधक सदस्य

पटना,
दिनांक–22.07.2026

प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 868-571+10-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in